



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:17842

इलाहाबाद उच्च न्यायालय [ए.एफ.आर.]

लखनऊ

रिट - सी संख्या - 33294 सन् 2019

डॉ. कपिश कुमार श्रीवास्तव.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रधान सचिव, गृह, लखनऊ एवं एक अन्य.....प्रतिवादी(गण)
याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:मनीष सिंह चौहान
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति इरशाद अली

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री एस.जी. सिंह को सुना गया।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता, बाराबंकी के जिला अधिकारी, विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा दिनांक 13.10.2019 को पारित आदेश को चुनौती दे रहा है, जो रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 में शामिल है।

3. मामले का तथ्यात्मक सार यह है कि याचिकाकर्ता ने 1.9.2011 को सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए रिवॉल्वर/पिस्तौल के शस्त्र अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया था। पुलिस आख्या के साथ-साथ तहसील अधिकारियों की आख्या भी याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रस्तुत की गई थी। जब याचिकाकर्ता को शस्त्र अनुज्ञप्ति नहीं दी गयी, तो याचिकाकर्ता ने बाराबंकी के जिला अधिकारी को आवेदन किया, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 10007 (एम/एस) 2018 दायर की, जिसका इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 9.4.2018 के आदेश द्वारा निपटारा इस अपेक्षा के साथ किया गया था की बाराबंकी के जिला अधिकारी शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन पर शीघ्र विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। बाराबंकी जिला अधिकारी ने 25.8.2018 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार कर दिया।

याचिकाकर्ता ने 4.9.2018 को बाराबंकी जिला अधिकारी के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे 19.10.2018 के आदेश के आधार बिना विचार किए इस झूठे आधार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया कि याचिकाकर्ता 25.8.2018 के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।

याचिकाकर्ता ने शस्त्र अधिनियम की धारा 18 के तहत अयोध्या मंडल आयुक्त, अयोध्या के समक्ष अपील संख्या 2325/2018 दायर की। दिनांक 14.2.2019 के आदेश द्वारा दोनों आदेशों को रद्द कर दिया गया और मामले को नए शस्त्र नियम, 2016 के अनुसार योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ वापस भेज दिया गया।

अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मामले को वापस भेजे जाने के बावजूद, विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा था, तब याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 9848 (एम/एस) 2019 दायर की। इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 9.4.2019 के अपने आदेश द्वारा रिट याचिका का निपटारा करते हुए जिला अधिकारी को उक्त मामले का यथाशीघ्र, अर्थात् चार महीने के भीतर, निर्णय लेने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने जंग बहादुर पटेल के विरुद्ध धारा 387 आईपीसी के तहत प्रथम सूचना आख्या संख्या 0537/2019 दर्ज कराई, जो याचिकाकर्ता से फिरोती मांग रहा था, और जिसमें धारा 387/507 आईपीसी के तहत आरोप पत्र दिनांक 1.9.2019 को प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता के विरुद्ध विनय कुमार द्विवेदी ने पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला बाराबंकी में आईपीसी की धारा 295/295ए/298 के तहत प्रथम सूचना आख्या संख्या 904/2018 दर्ज कराई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले की जांच की गई और अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक ने 8.8.2019 की पुलिस आख्या में हथियार अनुज्ञप्ति की सिफारिश नहीं की। इसी बीच, जंग बहादुर सिंह की शिकायत पर याचिकाकर्ता के निदान केंद्र की अनुज्ञप्ति को 26.9.2019 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 28483 (एम/बी) 2019, डॉ. कपीश कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य दायर की, जिसे वैकल्पिक उपाय होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने अपील दायर की है जो अभी लंबित है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति के आवेदन को रद्द करने का विवादित आदेश को बिना किसी तर्कसंगत औचित्य के पारित किया गया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि बाराबंकी के जिला अधिकारी के पास याचिकाकर्ता को शस्त्र अनुज्ञप्ति न देने का कोई वैध औचित्य नहीं है और इस परिस्थिति में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता को बिना किसी कारण के शस्त्र अनुज्ञप्ति न देकर आत्मरक्षा के अधिकार से वंचित किया गया है।

5. दूसरी ओर, श्री एस.जी. सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जिला अधिकारी ने प्रस्तुत आख्या के आधार पर याचिकाकर्ता को शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रदान करने के योग्य नहीं पाया।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि जिला अधिकारी के आदेश के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा 18 के तहत आयुक्त के समक्ष अपील की जा सकती है और इसलिए, आयुक्त के समक्ष अपील दायर करने के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका को रद्द किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, मैंने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

8. वर्तमान मामले में विवाद का निर्णय करने के लिए, शस्त्र अधिनियम की धारा 18 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"18. अपीलें? (1) अनुज्ञप्ति देने से इनकार करने या अनुज्ञप्ति की शर्तों में परिवर्तन करने वाले अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश से, या अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या उस प्राधिकारी के आदेश से, जिसके अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी है, अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी (जिसे इसके बाद अपीलीय प्राधिकारी कहा जाएगा) के समक्ष और निर्धारित अवधि के भीतर अपील कर सकता है:

बशर्ते कि सरकार द्वारा या सरकार के निर्देशानुसार दिए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

(2) निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार नहीं की जाएगी:

बशर्ते कि निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार की जा सकती है यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट कर दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

(3) अपील के लिए निर्धारित अवधि की गणना भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 (1908 का 9) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, जिसमें परिसीमा अवधियों की गणना का प्रावधान है।

(4) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील लिखित याचिका द्वारा की जाएगी और इसके साथ अपील किए गए आदेश के कारणों का संक्षिप्त विवरण संलग्न होगा, यदि ऐसा विवरण अपीलकर्ता को उपलब्ध कराया गया हो, और इसके साथ निर्धारित शुल्क भी संलग्न होगा।

(5) अपील का निपटारा करते समय अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बशर्ते कि किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।

(6) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सशर्त या बिना शर्त अन्यथा निर्देश न दिए जाने तक, अपील के निपटारे तक अपीलीय आदेश लागू रहेगा।

(7) अपीलीय प्राधिकारी का अपील किए गए आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे रद्द करने वाला प्रत्येक आदेश अंतिम होगा।“

9. शस्त्र अधिनियम की धारा 18 का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति के आवेदन को रद्द करने के विरुद्ध आयुक्त के समक्ष अपील की जा सकती है। चुनौती दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के कारण, यह रिट याचिका विधि की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है।

10. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका खारिज की जाती है और याचिकाकर्ता को जिला अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयुक्त के समक्ष अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है। हालांकि, आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर अपील दायर करता है, तो उस पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।

मार्च 11, 2026

(न्यायमूर्ति इरशाद अली)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।